

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) प्रथम

क्रमांक प. 13(2) शिक्षा-1/2015-16

जयपुर, दिनांक : 22-9-15

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

विषय : शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत आईएएसई/सीटीई संस्थाओं हेतु वर्ष 2015-16 की प्रथम किश्त की राशि की स्वीकृति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली द्वारा सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 की प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृति क्रमांक F44-28/2015-EE9 दिनांक 22.07.2015 के द्वारा डाईट, सीटीई, आईएएसई, एससीईआरटी व बाईट संस्थाओं की क्रमशः सामान्य मद, एससी मद, एसटी मद में कुल 2634.49 लाख रुपये की स्वीकृति की गई है (प्रतियों संलग्न)। उक्त स्वीकृति के अनुसार आईएएसई हेतु 118.16 लाख रुपये तथा सीटीई हेतु 204.65 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। योजनान्तर्गत 25 प्रतिशत राज्यांश देय है। वर्ष 2015-16 में आईएएसई, सीटीई संस्थाओं को प्रथम किश्त की राशि के रूप में राज्यांश सहित आईएएसई को कुल 157.55 लाख रुपये एवं सीटीई संस्थाओं को कुल 272.87 लाख रुपये कुल 430.42 लाख रुपये दिए जाने की स्वीकृति दी जानी है।

वर्ष 2015-16 में आईएएसई हेतु परिशिष्ट 'अ' एवं सीटीई संस्थाओं हेतु परिशिष्ट 'ब' के अनुसार निम्न बजट मदों में चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्राक्धान में से राशि आईएएसई हेतु समायोजित एवं सीटीई संस्थाओं द्वारा व्यय की गई राशि के विरुद्ध अग्रिम राशि व्यय करने की निम्न शर्ताधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है-

परिशिष्ट 'अ'

दो आईएएसई		राशि (लाखों में)
बजट मद		
2202-03-103-(01)-00 सामान्य मद (आयोजना)		103.57
2202-03-789-(02)-00 एससी मद (आयोजना)		30.44
2202-03-796-(02)-00 एसटी मद (आयोजना)		23.54
कुल योग		157.55

सीटीई संस्था

		परिशिष्ट 'ब' राशि (लाखों में)
बजट मद		
2202-03-104-(01)-00 सामान्य मद (आयोजना)		179.38
2202-03-789-(05)-00 एससी मद (आयोजना)		52.72
2202-03-796-(07)-00 एसटी मद (आयोजना)		40.77
कुल योग		272.87

शर्तें :-


- योजनान्तर्गत जारी स्वीकृति एवं दिशा-निर्देशानुसार राशि का उपयोग किया जाएगा।
- संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत 2015-16 के वास्तविक व्यय के आधार पर संस्था को अग्रिम राशि का आहरण कर उपलब्ध कराई जाएगी।
- उक्त स्वीकृत राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत ही किया जाएगा।

(हस्ताक्षर)

यह स्वीकृति वित्त (मार्गोपाय अनुभाग) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक पं. 1 (45)विमा/2007, दिनांक 07.12.2007 के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा जारी राशि राजकोष में जमा होने की पुष्टि एफडी, यूनिट संख्या एफ.डी. /डब्ल्यू. एण्ड एम./2015-16/145 दिनांक 31.07.2015 के द्वारा होने, वित्त विभाग (आय-व्यय) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक पं. 4(1) वित्त-1(1) आ.व्यय/2015 दिनांक 31.03.2015 के क्रम में तथा तदोपरान्त समुचित बजट प्रावधान उपलब्ध होने के आधार पर जारी की जाती है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।


राज्यपाल की आज्ञा से


(गोपाल शरण)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
2. अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग
4. निदेशक, वित्त (बजट), जयपुर
5. उप शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग
6. संबंधित कोषाधिकारी, अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/जयपुर/चुरु/भरतपुर
7. मुख्य लेखाधिकारी/उपनिदेशक, आयोजना, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
8. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/जयपुर/चुरु/भरतपुर
9. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, आई.सी. दल-54, शासन सचिवालय, जयपुर
10. शिक्षा (युप-2ए 5 एवं 6) विभाग, शासन सचिवालय
11. नोडल अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (शि.प्र.), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
12. संबंधित संस्था प्रधान
13. रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक, सां०

IASE Institutions

S.No.	Name of Institution	Salary (A)			Training & Activity (B)			Total (A+B)					
		Gen 65.74%	SC 19.32%	ST 14.94%	Total	Gen 65.74%	SC 19.32%	ST 14.94%	Total	Gen 65.74%	SC 19.32%	ST 14.94%	Total
1	IASE, Ajmer	33.90	9.96	7.70	51.56	4.92	1.45	1.12	7.50	38.82	11.41	8.82	59.05
2	IASE, Bikaner	59.82	17.58	13.60	91.00	4.93	1.45	1.12	7.50	64.75	19.03	14.72	98.50
	Total	93.72	27.54	21.30	142.56	9.85	2.90	2.24	15.00	103.57	30.44	23.54	157.55

परिशिष्ट-क
(Amount in lacs)

CTE Institutions

S.No.	Name of Institution	Salary (A)			Training & Activity (B)			Total (A+B)					
		Gen 65.74%	SC 19.32%	ST 14.94%	Total	Gen 65.74%	SC 19.32%	ST 14.94%	Total	Gen 65.74%	SC 19.32%	ST 14.94%	Total
1	Vidyabhawan, Udaipur	14.33	4.21	3.26	21.80	6.41	1.88	1.46	9.75	20.74	6.10	4.71	31.55
2	Sardarsahar, Churu	18.41	5.41	4.18	28.00	6.90	2.03	1.57	10.50	25.31	7.44	5.75	38.50
3	Dabok, Udaipur	20.58	6.05	4.67	31.30	5.26	1.55	1.20	8.00	25.84	7.59	5.97	39.30
4	Hatundi, Ajmer	15.78	4.64	3.58	24.00	4.11	1.21	0.93	6.25	19.89	5.84	4.52	30.25
5	Sangaria, Hanumangarh	20.71	6.09	4.70	31.50	8.87	2.61	2.02	13.50	29.58	8.69	6.72	45.00
6	Bhusawar, Bharatpur	9.20	2.70	2.10	14.00	5.26	1.55	1.20	8.00	14.46	4.25	3.29	22.00
7	Jamdoli, Jaipur	24.99	7.35	5.68	38.02	11.18	3.28	2.54	17.00	36.17	10.63	8.22	55.02
8	Jodhpur	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	2.17	1.68	11.25	7.40	2.17	1.68	11.25
	Total	124.00	36.45	28.17	188.62	55.39	16.28	12.59	84.25	179.38	52.72	40.77	272.87

192

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प 13(2) शिदा-1 / 2016-17

जयपुर, दिनांक :- 25/1/17

निदेशक,
मानविक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर।

विषय:- शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत आईएएसई/सीटीई संस्थाओं हेतु वर्ष 2016-17 की प्रथम किस्त की राशि की स्वीकृति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2016-17 की प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृति क्रमांक : F44-21/2016-EE9 दिनांक 30.12.2016 के द्वारा डाईट, सीटीई, आईएएसई, एरआईआईआरटी, वाईट व एमएमई हेतु कुल 2274.08 लाख रुपये स्वीकृत करते हुए गत वर्ष की अवशेष राशि 746.848 लाख रुपये को समायोजित करते हुए कुल राशि रुपये 1526.234 लाख जारी किए गए हैं (प्रतिवर्ष संलग्न)। उक्त स्वीकृति अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में आईएएसई हेतु कुल 202.03 लाख रुपये तथा सीटीई हेतु 399.89 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करते हुए स्वीकृत राशि की 50 प्रतिशत राशि जारी की गई है। योजनान्तर्गत 40 प्रतिशत राशि देय है।

अतः वर्ष 2016-17 में उपलब्ध बजट प्रावधान में से केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में आईएएसई हेतु परिसिष्ट 'अ' के अनुसार 168.35 लाख रुपये एवं सीटीई संस्थाओं हेतु परिसिष्ट 'ब' के अनुसार 333.24 लाख रुपये समायोजन/भुगतान करने की निम्न शर्तांशों की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

आईएएसई संस्थाएँ	
बजट मद	राशि (लाखों में)
2202-03-103-(01)-00 सामान्य मद (आयोजना)	147.98
2202-03-789-(02)-00 एससी मद (आयोजना)	12.16
2202-03-796-(02)-00 एसटी मद (आयोजना)	8.21
कुल योग	168.35
सीटीई संस्थाएँ	
बजट मद	राशि (लाखों में)
2202-03-104-(01)-00 सामान्य मद (आयोजना)	219.08
2202-03-789-(05)-00 एससी मद (आयोजना)	64.38
2202-03-796-(07)-00 एसटी मद (आयोजना)	49.78
कुल योग	333.24

शर्तें :-

1. योजनान्तर्गत जारी स्वीकृति एवं दिशा-निर्देशानुसार राशि का उपयोग किया जाएगा।
2. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत 2016-17 के वार्षिक बजट की अवधि पर राशि का अहस्त कर उपलब्ध कराई जाएगी।
3. उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्यय अनुभाग) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक : पं. 1 (45)विभा/2007, दिनांक 07.12.2007 के क्रम में केंद्र सरकार द्वारा जारी राशि राजकोष में जमा होने की पुष्टि एफडी, यूनिट संख्या एफ.डी./डब्ल्यू. एण्ड एम./2016-17/491 एवं 490 दिनांक 30.12.2016 के द्वारा होने, वित्त विभाग (आय-व्यय) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक : पं. 4(1) वित्त-1(1) आ.व्य. /2016 दिनांक 31.03.2016 के क्रम में तथा तदोपरान्त समुचित वज्रट प्रावधान उपलब्ध होने के आधार पर जारी की जाती है।

सलग्न : उपरोक्तानुसार।

मधुदीप

(महेश मेरधानी)

शासन उप सचिव, ग्राम

प्रतिनिधि विभाजित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
4. निदेशक, वित्त (बजट), जयपुर।
5. उप शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
6. संबंधित कौषाधिकारी अजमेर / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर / जयपुर / चूरु / भरतपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी / उपनिदेशक, आयोजना, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर / जयपुर / चूरु / भरतपुर।
9. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, आई.सी. दल-54, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. शिक्षा (ग्रुप-2, 5 एवं 6) विभाग, शासन सचिवालय।
11. नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य, राष्ट्रीय उच्च अध्ययन संस्थान, बीकानेर।
12. संबंधित लेखा कर्मचारी मोरीद खय्यामखान, चूरु
13. वित्त विभाग।

(कली चरण)
उप निदेशक (सा)

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आईएसई व सीटीई संस्थाओं को 2016-17 की प्रथम किस्त की जारी राशि

परिशिष्ट - अ

आईएसई संस्थान

(Rs. in Lakhs)

S.No.	Name of Institution	General (A)			SC (B)			ST (C)			G. Total (A+B+C)		
		2202-03-103-(01)-00			2202-03-789-(02)-00			2202-03-796-(02)-00			G. Total (A+B+C)		
		Salary	Training	Total	Salary	Training	Total	Salary	Training	Total	Salary	Training	Total
1	CASE, Ajmer	70.35	9.00	79.35	5.00	2.00	7.00	4.50	1.00	5.50	79.85	12.00	91.85
2	CASE, Bikaner	63.81	4.87	68.68	3.93	1.18	5.11	2.21	0.50	2.71	70.00	6.50	76.50
	Total	134.16	13.87	147.98	8.93	3.18	12.11	6.71	1.50	8.21	149.85	18.50	168.35

(Rs. in Lakhs)

सीटीई संस्थान

(Rs. in Lakhs)

S.No.	Name of Institution	General (A)			SC (B)			ST (C)			G. Total (A+B+C)		
		2202-03-104-(01)-00			2202-03-789-(05)-00			2202-03-796-(07)-00			G. Total (A+B+C)		
		Salary	Training	Total	Salary	Training	Total	Salary	Training	Total	Salary	Training	Total
1	Vidyabhawan, Udaipur	13.48	5.50	18.98	3.96	1.30	5.26	3.06	1.34	4.40	20.50	8.34	28.84
2	Sardarsahar, Churu	22.87	4.01	26.88	6.72	1.18	7.90	5.20	0.91	6.11	34.79	6.10	40.89
3	Dabok, Udaipur	30.74	3.70	34.44	8.62	1.11	9.73	7.43	0.86	8.29	46.79	5.61	52.40
4	Hatundi, Ajmer	22.22	3.75	25.97	6.53	1.10	7.63	5.05	0.85	5.90	33.80	5.70	39.50
5	Sanaria, Hanumangarh	25.80	12.00	37.80	7.53	3.14	10.67	5.86	2.73	8.59	39.24	17.87	57.11
6	Bhusavar, Bharatpur	10.78	4.14	14.92	3.17	1.22	4.39	2.45	0.94	3.39	16.40	6.30	22.70
7	Jwadih, Jaipur	14.41	12.00	26.41	10.53	4.01	14.54	7.38	2.62	10.00	52.32	18.63	70.95
8	Jodhpur	6.84	6.84	13.68	2.01	2.00	4.01	1.55	1.55	3.10	10.40	10.39	20.79
	Total	167.14	51.94	219.08	49.12	15.26	64.38	37.98	11.80	49.78	254.24	79.00	333.24

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प 13(2) शिक्षा-1/2016-17

जयपुर, दिनांक :- 28/3/17

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:- शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत आईएसई/सीटीई संस्थाओं हेतु वर्ष 2016-17 की द्वितीय किश्त जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली द्वारा सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 की द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृति : F44-21/2016-EE9 दिनांक 27.02.2017 के द्वारा डाईट, सीटीई, आईएसई, एसआईआईआरटी हेतु कुल 1069.86 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। (प्रति संलग्न) उक्त जारी स्वीकृति अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में आईएसई हेतु एक करोड़ रुपये तथा सीटीई हेतु दो करोड़ रुपये द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त हुए हैं। योजनान्तर्गत 40 प्रतिशत राज्यांश देय है।

अतः वर्ष 2016-17 से उपलब्ध बजट प्रावधान में से केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में आईएसई हेतु परिशिष्ट 'अ' के अनुसार 164.71 लाख एवं सीटीई हेतु परिशिष्ट 'ब' के अनुसार 233.94 लाख रुपये संवेतन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए निम्न बजट मदों में द्वितीय किश्त की स्वीकृति शताधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है -

आईएसई संस्थाएँ	
बजट मद	राशि (लाखों में)
2202-03-133-(01)-00 सामान्य मद (आयोजना)	108.39
2202-03-739-(02)-00 एससी मद (आयोजना)	31.70
2202-03-736-(02)-00 एसटी मद (आयोजना)	24.62
कुल योग	164.71

सीटीई संस्थाएँ	
बजट मद	राशि (लाखों में)
2202-03-104-(01)-00 सामान्य मद (आयोजना)	132.88
2202-03-789-(05)-00 एससी मद (आयोजना)	50.88
2202-03-796-(07)-00 एसटी मद (आयोजना)	50.18
कुल योग	233.94

शर्तें :-

1. योजनान्तर्गत जारी स्वीकृति एवं दिशा-निर्देशानुसार राशि का उपयोग किया जाएगा।
2. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत 2016-17 के वास्तविक व्यय के आधार पर संस्था को राशि का आहरण कर उपलब्ध कराई जाएगी।
3. उक्त स्वीकृति राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत ही किया जाएगा।
4. सभी सीटीई संस्थाएं आहरण अधिकारी उपनिदेशक, माध्यमिक के प्रतिहस्ताक्षर करवाकर 2016-17 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से विभाग को प्रस्तुत करेंगी।
5. राज्य परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 12.05.2016 में लिये गये निर्णयानुसार (विन्दु संख्या 4) सीटीई डबोक (उदयपुर) एवं सीटीई हटुण्डी (अजमेर) यूजीसी वेतनमान के स्थान पर राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन दिया गया है।

यह स्वीकृति वित्त (मार्गोपाय अनुभाग) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक : पं.1 (45)विमा/2007, दिनांक 07.12.2007 के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा जारी राशि राजकोष में जमा होने की पुष्टि एफडी, यूनिट संख्या एफ.डी./डब्ल्यू. एम./2016-17/746 दिनांक 27.02.2017 एवं एफ.डी./डब्ल्यू. एम./2016-17/745 दिनांक 03.03.2017 के द्वारा होने, वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक : पं. 4(1) वित्त-1(1) आ.व्यय./2016 दिनांक 31.03.2016 के क्रम में तथा तदोपरान्त समुचित बजट प्रावधान उपलब्ध होने के आधार पर जारी की जाती है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय




(आर.एस. झालानी)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
4. निदेशक, वित्त (बजट), जयपुर।
5. उप शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
6. संबंधित कोषाधिकारी अजमेर/ बीकानेर/ जोधपुर/ उदयपुर/ जयपुर/ चूरु/ भरतपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी/उपनिदेशक, आयोजना, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/जयपुर/चूरु/भरतपुर।
9. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, आई.सी. दल-54, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. शिक्षा (गुप-2, 5 एवं 6) विभाग, शासन सचिवालय।
11. नोडल अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (शि.प्र.), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
12. संबंधित संस्था प्रधान
13. रक्षित फ़ाइल।



(काली चरण)

उप निदेशक (सां.)

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आईएएसई व सीटीई संस्थाओं को 2016-17 की द्वितीय किस्त की जारी राशि

परिशिष्ट - अ

आईएएसई संस्थान

(Rs. in Lakhs)

S.No.	Name of Institution	General (A) 2202-03-103-(01)-00			SC (B) 2202-03-789-(02)-00			ST (C) 2202-03-796-(02)-00			G. Total (A+B+C)		
		Salary	Training	Total	Salary	Training	Total	Salary	Training	Total	Salary	Training	Total
1	IASE, Aimer	49.46	4.23	53.68	14.47	1.24	15.70	11.23	0.96	12.19	75.15	6.42	81.57
*2	IASE, Bikaner	49.16	5.55	54.71	14.38	1.62	16.00	11.16	1.27	12.43	74.70	8.44	83.14
	Total	98.62	9.78	108.39	28.85	2.86	31.70	22.39	2.23	24.62	149.85	14.86	164.71

परिशिष्ट - ब

सीटीई संस्थान

(Rs. in Lakhs)

S.No.	Name of Institution	General (A) 2202-03-103-(01)-00			SC (B) 2202-03-789-(02)-00			ST (C) 2202-03-796-(02)-00			G. Total (A+B+C)		
		Salary	Training	Total	Salary	Training	Total	Salary	Training	Total	Salary	Training	Total
1	Vidyabhawan, Udaipur	9.49	5.11	14.60	3.46	1.49	4.95	4.29	1.16	5.45	17.24	7.76	25.00
2	Sardarsahar, Churu	10.00	2.65	12.65	5.06	0.78	5.84	3.92	0.60	4.52	18.98	4.03	23.01
3	Dabok, Udaipur	18.00	3.62	21.62	6.85	1.06	7.91	3.33	0.82	4.15	28.18	5.50	33.68
4	Hatundi, Aimer	13.00	2.47	15.47	5.11	0.72	5.83	3.97	0.56	4.53	22.08	3.75	25.83
5	Sarafa, Hanumangarh	15.00	4.96	19.96	5.82	1.45	7.27	11.51	1.12	12.63	32.33	7.53	39.86
6	Bhusawar, Bhatatpur	10.28	2.76	13.04	5.49	0.81	6.30	4.58	0.63	5.21	20.15	4.20	24.55
7	Jamdoli, Jaipur	15.00	6.05	21.05	7.67	1.77	9.44	7.39	1.37	8.76	30.06	9.19	39.25
8	Jodhpur	10.08	4.41	14.49	2.05	1.29	3.34	3.93	1.00	4.93	16.06	6.70	22.76
	Total	100.85	32.03	132.88	41.51	9.37	50.88	42.92	7.26	50.18	185.28	48.66	233.94

37

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) प्रथम

क्रमांक प 13(2) शिक्षा-1/2016

जयपुर, दिनांक 15/11/17

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय : लोकता शिक्त कार्यक्रम अन्तर्गत आईएएसई तथा सीटीई संस्थाओं हेतु वर्ष 2017-18 की प्रथम किश्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली द्वारा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृति क्रमांक F-44-19/2017-EE-9 दिनांक 12.10.2017 के द्वारा आईट, सीटीई, आईएएसई, एससीईआरटी व वाईट संस्थाओं की क्रयश सामान्य मद में 1235.00 लाख, एससी मद में 380.00 लाख एवं एसटी मद में 284.05 लाख कुल 1899.05 लाख रुपये की स्वीकृति किए गए हैं (प्रतियोगी संलग्न)। उक्त स्वीकृति अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में आईएएसई हेतु कुल 111.09 लाख रुपये तथा सीटीई हेतु 222.24 लाख रुपये कुल 333.33 लाख रुपये स्वीकृति किए गए हैं। योजनान्तर्गत 40 प्रतिशत राज्यांश देय है। उक्त स्वीकृति राशि के तहत राज्यांश के रूप में आईएएसई की 74.06 लाख रुपये एवं सीटीई संस्थाओं को 148.17 लाख रुपये कुल 222.23 लाख रुपये देय है।

अतः वर्ष 2017-18 में प्रावणित राशि में से बरिखिष्ट क्रमशः 'अ' व 'ब' (संलग्न) के अनुसार सर्वेक्षण एवं परिक्षण गतिविधियों के लिए राज्यांश सहित आईएएसई संस्थाओं हेतु 185.15 लाख रुपये समायोजित करने तथा सीटीई संस्थाओं हेतु 370.40 लाख रुपये का पुनर्भरण किये जाने की निम्न बजट मद व शर्तधीत की माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाखों में)

आईएएसई संस्थाएँ	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	कुल राशि
बजट मद			
2202-03-103-(01)-00 सामान्य मद	72.24	48.16	120.40
2202-03-789-(02)-00 एससी मद	22.23	14.82	37.05
2202-03-796-(02)-00 एसटी मद	16.62	11.08	27.70
कुल योग	111.09	74.06	185.15

(राशि लाखों में)

सीटीई संस्थाएँ	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	कुल राशि
बजट मद			
2202-03-104-(01)-00 सामान्य मद	144.52	96.35	240.87
2202-03-789 (05)-00 एससी मद	43.46	29.64	73.10
2202-03-796-(02)-07 एसटी मद	33.26	22.17	55.43
कुल योग	222.24	148.16	370.40

505

शर्तें :-

1. योजनान्तर्गत जारी स्वीकृति एवं दिशा-निर्देशानुसार राशि का उपयोग किया जाएगा।
2. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत 2017-18 के वार्षिक व्यय के आधार पर संस्था को अंतिम राशि का आहरण कर उपलब्ध कराई जाएगी।
3. उक्त स्वीकृत राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत ही किया जाएगा।

यह स्वीकृति वित्त (मार्गोपाय अनुभाग) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प 1 (45) दिनांक 07.12.2007 के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा जारी राशि राजकोष में जमा होने की पुष्टि एफडी, यूनिट संख्या एफ डी / डब्ल्यू एम् एम / 2017-18 / 433, 434 एवं 435 दिनांक 13.10.2017 के द्वारा होने, वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक प. 4(1) दिनांक-1(1) आध्यय / 2017 दिनांक 31.03.2017 के क्रम में तथा तदोपरान्त समुचित बजट प्रावधान उपलब्ध होने के आधार पर जारी की जाती है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


भवदीय



(आर.एस. डालानी)
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
2. अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग
4. निदेशक, वित्त (बजट), जयपुर
5. उप शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग
6. संबंधित कोषाधिकारी, अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/जयपुर/चुरू/भरतपुर
7. मुख्य लेखाधिकारी/उपनिदेशक, आयोजना, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
8. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/जयपुर/चुरू/भरतपुर
9. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी शासन सचिवालय, जयपुर
10. शिक्षा (ग्रुप-2, 5 एवं 6) विभाग, शासन सचिवालय
11. नोडल अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (शि.प्र.), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
12. संबंधित संस्था प्रधान
13. रक्षित पत्रावली


(डॉ. राजवीर सिंह)
उप निदेशक (मूल्यांकन)

सीटीई संख्याओं की प्रथम किरा की स्वीकृत राशि

(राशि हजारों में)

बजट मद	सीटीई संख्याओं का नाम ->		विद्यामवन, उदयपुर	सरदारसरकर, धुरु	डभोक, उदयपुर	सगरिया, हनुमानगढ़	हदूपडी, अजमेर	मुसावर, भरतपुर	जामजोली, जयपुर	जोधपुर	योग
	मद		1	2	3	4	5	6	7	8	
सामान्य (अ) 2202-03-103-(61)-00	संवहन	केन्द्रांश	8.58	15.22	19.12	15.22	14.59	8.98	21.85	4.68	128.24
		राज्यांश	5.72	10.14	12.75	10.14	9.73	5.98	14.56	3.12	72.14
		योग	14.30	25.36	31.87	25.36	24.32	14.96	36.41	7.80	180.38
	प्रशिक्षण एवं शोध	केन्द्रांश	5.17	3.61	3.31	5.85	3.51	3.61	7.71	3.52	36.29
		राज्यांश	3.45	2.41	2.23	3.90	2.34	2.41	5.14	2.34	24.20
		योग	8.62	6.02	5.52	9.75	5.85	6.02	12.85	5.86	60.49
	योग	केन्द्रांश	13.75	18.83	22.43	21.07	18.10	12.59	29.56	8.70	144.53
		राज्यांश	9.17	12.55	14.96	14.04	12.07	8.39	19.70	5.46	96.34
		योग	22.92	31.38	37.39	35.11	30.17	20.98	49.26	13.66	240.87
	एस.सी. (ब) 2202-03-789-(02)-00	संवहन	केन्द्रांश	1.64	4.68	5.89	4.58	4.49	2.76	6.73	1.44
राज्यांश			1.76	3.12	3.92	3.12	2.99	1.84	4.48	0.96	22.19
योग			4.40	7.80	9.81	7.80	7.48	4.60	11.21	2.40	55.50
प्रशिक्षण एवं शोध		केन्द्रांश	1.59	1.11	1.02	1.80	1.08	1.11	2.17	1.08	11.16
		राज्यांश	1.06	0.74	0.68	1.20	0.72	0.74	1.58	0.72	7.44
		योग	2.65	1.85	1.70	3.00	1.80	1.85	3.95	1.80	18.60
योग		केन्द्रांश	4.23	5.79	6.91	6.58	5.57	3.87	9.19	2.52	44.47
		राज्यांश	2.82	3.86	4.60	4.32	3.71	2.58	6.06	1.68	29.63

		योग	7.05	9.65	11.51	10.80	9.28	6.45	15.16	4.20	74.10
एस.डी. (स) 2202-03-796-(02)-00	संवेदन	केन्द्रांश	1.97	3.50	4.40	3.50	3.36	2.96	5.03	1.08	24.90
		राज्यांश	1.32	2.34	2.93	2.34	2.24	1.38	3.35	0.72	16.62
		योग	3.29	5.84	7.33	5.84	5.60	3.44	8.38	1.80	41.52
	प्रशिक्षण एवं शोध	केन्द्रांश	1.19	0.83	0.77	1.34	0.81	0.83	1.77	0.81	8.35
		राज्यांश	0.79	0.55	0.51	0.90	0.54	0.55	1.18	0.54	5.56
		योग	1.98	1.38	1.28	2.24	1.35	1.38	2.95	1.35	13.91
	योग	केन्द्रांश	3.16	4.33	5.17	4.84	4.17	7.89	6.80	1.89	33.25
		राज्यांश	2.11	2.89	3.44	3.24	2.78	1.93	4.53	1.26	22.18
		योग	5.27	7.22	8.61	8.08	6.95	4.82	11.33	3.15	55.43
महावोग (अ+ब+स)	संवेदन	केन्द्रांश	13.19	23.40	29.41	23.40	22.44	13.90	33.61	7.20	176.45
		राज्यांश	8.80	15.60	19.60	15.60	14.96	9.20	22.39	4.80	110.95
		योग	21.99	39.00	49.01	39.00	37.40	23.00	56.00	12.00	277.40
	प्रशिक्षण एवं शोध	केन्द्रांश	7.95	5.55	5.10	8.99	5.40	5.55	11.85	5.41	55.80
		राज्यांश	5.30	3.70	3.40	6.00	3.60	3.70	7.90	3.60	39.20
		योग	13.25	9.25	8.50	14.99	9.00	9.25	19.75	9.01	95.00
	योग	केन्द्रांश	21.14	28.95	34.51	32.39	27.84	19.35	45.06	12.61	222.25
		राज्यांश	14.10	19.30	23.00	21.60	18.56	12.90	30.29	8.40	148.15
		योग	35.24	48.25	57.51	53.99	46.40	32.25	75.75	21.01	370.40

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 13(2)शिक्षा-1/2017-18

जयपुर दिनांक 23/3/18

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय-शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत आईएएसई तथा सीटीई संस्थाओं हेतु वर्ष 2017-18 की द्वितीय किस्त स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि अपर शतक मनुष्य ससाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली द्वारा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृति क्रमांक F.No. 44-19/2017-EE.9 दिनांक 22.02.2018 के द्वारा डाईट, सीटीई, आईएनई, एनआईआरपी व बाईट संस्थाओं की क्रमशः सामान्य मद में 447.00 लाख रुपये एवं एससीएसपी मद में 297.58 लाख रुपये कुल 744.46 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। (प्रति सलग) उक्त स्वीकृति अन्तर्गत कन्द्रांश के रूप में आईएएसई हेतु कुल 36.54 लाख रुपये तथा सीटीई हेतु 73.50 लाख रुपये कुल 110.04 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजनान्तर्गत 40 प्रतिशत राज्यांश देय है। उक्त स्वीकृति राशि के तहत राज्यांश के रूप में आईएएसई हेतु कुल 24.38 लाख रुपये तथा सीटीई हेतु 69.78 लाख रुपये कुल 94.16 लाख रुपये देय है।

अतः वर्ष 2017-18 में प्रावधित राशि में से परिशिष्ट क्रमशः 'अ' व 'ब' (सलग) के अनुसार संयोजित एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए राज्यांश सहित आईएएसई संस्थाओं हेतु 60.92 लाख रुपये समायोजित करने तथा सीटीई संस्थाओं हेतु 143.28 लाख रुपये का पुनर्भरण किये जाने की निम्न बजट मद व शतांश की माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

आईएएसई संस्थाएं			
बजट मद	राशि (लाखों में)		
	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	कुल राशि
2202-03-103-101-00 सामान्य मद (आयो.)	24.04	16.04	40.08
2202-03-789-102-00 एससी मद (आयो.)	7.06	4.70	11.76
2202-03-796-102-00 एसटी मद (आयो.)	5.44	3.64	9.08
कुल योग	36.54	24.38	60.92

सीटीई संस्थाएं			
बजट मद	राशि (लाखों में)		
	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	कुल राशि
2202-03-104-101-00 सामान्य मद (आयो.)	39.22	42.09	81.31
2202-03-789-105-00 एससी मद (आयो.)	18.05	14.55	32.60
2202-03-796-102-00 एसटी मद (आयो.)	16.23	13.14	29.37
कुल योग	73.50	69.78	143.28

माता

शर्तें :-

1. योजनान्तर्गत जारी स्वीकृति एवं दिशा-निर्देशानुसार राशि का उपयोग किया जाएगा।
2. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत 2017-18 के वास्तविक व्यय के आधार पर राशि को पुनर्भरण राशि का आहरण कर उपलब्ध कराई जाएगी।
3. उक्त स्वीकृत राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत ही किया जाएगा।

यह स्वीकृति वित्त (सामान्य अनुभाग) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक : पं 1(45)विमा/ 2007, दिनांक 07.12.2007 के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा जारी राशि राजकीय में जमा होने की पुष्टि एकदो, यूनिट संख्या FD/WM/2017-18/723, 722 दिनांक 01.03.2018 के द्वारा होने, वित्त विभाग (आय-व्यय) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक पं 4(1) वित्त-1(1) आव्यय/2017 दिनांक 31.03.2017 के क्रम में तथा तदोपरान्त समुचित बजट प्रावधान उपलब्ध होने के आधार पर जारी की जाती है।

सल्लयन : उपरोक्तानुसार।


भवदीय,



(आर.एस. झालानी)
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
4. निदेशक, वित्त (बजट), जयपुर।
5. उप शासन सचिव, आयोजना (जनसक्ति) विभाग।
6. संबंधित कोषाधिकारी, अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/जयपुर/चुरू/भरतपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी/उपनिदेशक, आवाजगा, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/जयपुर/चुरू/भरतपुर।
9. निदेशक लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. शिक्षा (ग्रुप-2, 5 एवं 6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. नोडल अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (शि.प्र.), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
12. संबंधित राशि प्रदान _____
13. उचित पत्रावली।


(डॉ. राजवीर सिंह)
उप निदेशक (मूल्यांकन)

सी.टी.ई. संस्थाओं की वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय किस्त की स्वीकृत राशि

परिशिष्ट-घ

यजट मद	सी.टी.ई. संस्थाओं के नाम		विद्यालय, उदयपुर	सदरदारशाहर, बुरु	अबोक, उदयपुर	मदूपडी, अजमेर	रागरिया, हनुमानगढ़	भुसावर, भरतपुर	जामलोली, जयपुर	जांधपुर	योग		
	मद	अंशदान											
सामान्य (अ) 2202-03-104-(01)-00	संवेतन	केन्द्रांश	1.78	1.37	1.13	1.53	1.08	1.52	5.47	2.16	16.04		
		राज्यांश	1.08	2.46	2.32	1.80	0.72	2.21	3.65	1.86	16.10		
	योग	योग	2.86	3.83	3.45	3.33	1.80	3.73	5.17	7.32	4.02	32.14	
		केन्द्रांश	1.96	2.50	4.70	2.60	3.77	3.21	3.21	1.39	3.05	23.18	
	योग	राज्यांश	3.80	2.96	4.90	2.56	5.01	2.97	2.97	0.93	2.96	25.99	
		योग	5.76	5.46	9.60	5.16	8.78	6.18	6.18	2.32	5.91	49.17	
	एस.सी. (ब) 2202-03-764-(05)-00	संवेतन	केन्द्रांश	3.74	3.87	5.83	4.13	4.85	4.73	6.86	5.21	39.22	
			राज्यांश	4.88	5.42	7.22	4.36	5.73	5.18	4.58	4.72	42.09	
		योग	योग	8.62	9.29	13.05	8.49	10.58	9.91	9.31	11.44	9.93	81.31
			केन्द्रांश	1.42	1.60	1.42	1.30	1.58	0.97	0.97	2.35	0.87	11.51
योग		राज्यांश	0.95	1.06	0.95	0.87	1.06	0.64	0.64	1.56	0.59	7.68	
		योग	2.37	2.66	2.37	2.17	2.64	1.61	1.61	3.91	1.46	19.19	
प्रशिक्षण एवं शोध		केन्द्रांश	केन्द्रांश	0.79	0.96	0.76	0.73	1.05	0.84	0.62	0.79	6.54	
			राज्यांश	0.94	0.64	0.92	0.49	1.53	0.98	0.98	0.42	0.95	6.87
		योग	योग	1.73	1.60	1.68	1.22	2.58	1.82	1.82	1.04	1.74	13.41
			केन्द्रांश	2.21	2.56	2.18	2.03	2.63	1.81	1.81	2.97	1.66	18.05
योग	राज्यांश	1.89	1.70	1.87	1.36	2.59	1.62	1.62	1.98	1.54	14.55		
	योग	4.10	4.26	4.05	3.39	5.27	3.43	3.43	4.95	3.20	32.60		

संवेदन	केन्द्रांश	1.30	1.44	1.25	1.17	1.63	0.82	2.10	0.71	10.22
	राज्यांश	0.86	0.96	0.84	0.78	0.95	0.54	1.39	0.48	6.80
	योग	2.16	2.40	2.09	1.95	2.38	1.36	3.49	1.19	17.02
प्रशिक्षण एवं शोध	केन्द्रांश	0.57	0.76	0.62	0.57	1.29	0.86	0.32	1.02	6.01
	राज्यांश	0.77	0.80	1.08	0.38	1.53	0.90	0.71	0.68	6.34
	योग	1.29	1.60	1.70	0.95	2.82	1.76	0.53	1.70	12.35
योग	केन्द्रांश	1.87	2.20	1.87	1.74	2.72	1.68	2.42	1.73	16.23
	राज्यांश	1.58	1.80	1.92	1.16	2.48	1.44	1.60	1.16	13.14
	योग	3.45	4.00	3.79	2.90	5.20	3.12	4.02	2.89	29.37
संवेदन	केन्द्रांश	4.50	4.41	3.89	4.00	4.09	3.31	9.92	3.74	37.77
	राज्यांश	2.89	4.48	4.11	3.45	2.73	3.39	6.60	2.93	30.58
	योग	7.39	8.89	7.91	7.45	6.82	6.70	16.52	6.67	68.35
प्रशिक्षण एवं शोध	केन्द्रांश	3.32	4.22	6.08	3.90	6.11	4.91	2.33	4.86	35.73
	राज्यांश	5.46	4.44	6.90	3.43	8.07	4.85	1.56	4.49	39.20
	योग	8.78	8.66	12.98	7.33	14.18	9.76	3.89	9.35	74.93
योग	केन्द्रांश	7.82	8.63	9.88	7.90	10.70	8.22	12.35	8.60	73.50
	राज्यांश	8.35	8.92	11.01	6.88	10.80	8.24	8.16	7.42	69.78
	योग	16.17	17.55	20.89	14.78	21.00	16.46	20.41	16.02	143.28

एस.टी. (स)
2202-03-796--(07)-00

महायोग (अ+ब+स)

उपनिदेशक (सिद्दीकान्त)
स्कूल शिक्षा (ए-1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 13(2) शिक्षा-1/2016-17

जयपुर, दिनांक :- 25/1/17

निदेशक,
मध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय- शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत आईएएसई/सीटीई संस्थाओं हेतु वर्ष 2016-17 की प्रथम किस्त की राशि की स्वीकृति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2016-17 की प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृति क्रमांक : F44-21/2016-EE9 दिनांक 30.12.2016 के द्वारा डाईट, सीटीई, आईएएसई, एसआईईआरटी, नाईट व एमएमई हेतु कुल 2274.08 लाख रुपये स्वीकृत करती हुए गत वर्ष की अवशेष राशि 746.848 लाख रुपये को समायोजित करते हुए कुल राशि रुपये 1526.234 लाख जारी किए गए हैं (प्रतियों संलग्न)। उक्त स्वीकृति अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में आईएएसई हेतु कुल 202.03 लाख रुपये तथा सीटीई हेतु 399.89 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करते हुए स्वीकृत राशि की 50 प्रतिशत राशि जारी की गई है। योजनान्तर्गत 40 प्रतिशत राश्यांश देय है।

अतः वर्ष 2016-17 में उपलब्ध बजट प्रावधान में से केन्द्रांश व राश्यांश के रूप में आईएएसई हेतु परिशिष्ट 'अ' के अनुसार 168.35 लाख रुपये एवं सीटीई संस्थाओं हेतु परिशिष्ट 'ब' के अनुसार 333.24 लाख रुपये समायोजन/भुगतान करने की निम्न शर्ताधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

आईएएसई संस्थाएँ	
बजट मद	राशि (लाखों में)
2202-03-103-(01)-00 सामान्य मद (आयोजना)	147.98
2202-03-789-(02)-00 एससी मद (आयोजना)	12.16
2202-03-796-(02)-00 एसटी मद (आयोजना)	8.21
कुल योग	168.35

सीटीई संस्थाएँ	
बजट मद	राशि (लाखों में)
2202-03-104-(01)-00 सामान्य मद (आयोजना)	219.08
2202-03-789-(05)-00 एससी मद (आयोजना)	64.58
2202-03-796-(07)-00 एसटी मद (आयोजना)	49.78
कुल योग	333.24

शर्त :-

1. योजनान्तर्गत जारी स्वीकृति एवं दिशा-निर्देशानुसार राशि का उपयोग किया जाएगा।
2. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत 2016-17 के वास्तविक व्यय के आधार पर सख्या की राशि का आहरण कर उपलब्ध कराई जाएगी।

उक्त स्वीकृति वित्त (समाचार अनुभाग) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक : पं. 1 (45)विमा/2007, दिनांक 07.12.2007 के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा जारी राशि राजकोष में जमा होने की पुष्टि एफडी, यूनिट संख्या एफ.डी./डब्ल्यू. एण्ड एम./2016-17/491 एवं 490 दिनांक 30.12.2016 के द्वारा होने, वित्त विभाग (आय-व्यय) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक : पं. 4(1) वित्त-1(1) आ.व्यय./2016 दिनांक 31.03.2016 के क्रम में तथा तदोपरान्त समुचित बजट प्रावधान उपलब्ध होने के आधार पर जारी की जाती है।

सलगन : उपरोक्तानुसार।

महोदय



(महेश मेहरानी)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, शांती भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
4. निदेशक, वित्त (बजट), जयपुर।
5. उप शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
6. संबंधित कोषाधिकारी अजमेर/ बीकानेर/ जोधपुर/ उदयपुर/ जयपुर/ चुरू/ भरतपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी/उपनिदेशक, आयोजना, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर/ बीकानेर/ जोधपुर/ उदयपुर/ जयपुर/ चुरू/ भरतपुर।
9. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, आई.सी. टल-54, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. शिक्षा (ग्रुप-2, 5 एवं 6) विभाग, शासन सचिवालय।
11. नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन संस्थान, बीकानेर।
12. संबंधित सख्या प्रधान, सी.ई. सचिव, प्रथम।
13. संबंधित सचिव।

(3)
(काली चरण)

उप निदेशक (सा)

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आईएएसई व सीटीई संस्थाओं को 2016-17 की प्रथम किशत की जारी राशि परिसिद्ध - अ

आईएएसई संस्थान

(Rs. in Lakhs)

G. Total (A+B+C)

S.No.	Name of Institution	General (A)			SC (B)			ST (C)			Total	
		Salary	Training	Total	Salary	Training	Total	Salary	Training	Total		
1	IASI, Ajmer	70.35	0.00	70.35	5.00	2.00	7.00	4.50	1.00	5.50	79.85	
1	IASI, Bikaner	63.81	4.82	68.63	3.98	1.18	5.16	2.21	0.80	2.71	70.00	
	Total	134.16	13.82	147.98	8.98	3.18	12.16	6.71	1.50	8.21	149.85	
											18.50	168.35

(Rs. in Lakhs)

सीटीई संस्थान

(Rs. in Lakhs)

G. Total (A+B+C)

S.No.	Name of Institution	General (A)			SC (B)			ST (C)			Total
		Salary	Training	Total	Salary	Training	Total	Salary	Training	Total	
1	Vid-Abhawan, Udaipur	13.48	5.50	18.98	3.06	1.50	5.46	3.06	1.34	4.40	20.50
2	sardarsahar, Churu	22.87	1.01	26.88	6.72	1.18	7.90	5.20	0.91	6.11	34.79
3	Dabok, Udaipur	30.74	3.70	34.44	8.62	1.11	9.73	7.43	0.86	8.29	46.79
4	Hatundi, Ajmer	22.22	3.75	25.97	6.53	1.10	7.63	5.05	0.85	5.90	33.80
5	Sanaria, Hanumangarh	25.80	12.00	37.80	7.58	3.14	10.72	5.86	2.73	8.59	39.24
6	Bhusawar, Bharatpur	10.78	4.14	14.92	3.17	1.22	4.39	2.45	0.94	3.39	16.40
7	Jaindoli, Jaipur	34.41	12.00	46.41	10.53	4.01	14.54	7.38	2.62	10.00	52.32
8	Jodhpur	6.84	6.84	13.68	2.61	2.00	4.01	1.55	1.55	3.10	10.40
	Total	167.14	51.94	219.08	49.12	15.26	64.38	37.98	11.80	49.78	254.24

9

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

जो राजस्थान में शिक्षा प्रसारित करने के लिए गठित की गई है।
जो राजस्थान में शिक्षा प्रसारित करने के लिए गठित की गई है।

संख्या: 0141/271032

दिनांक: 14/08/2018

प्रति: राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

जयपुर

गुणवत्ता स्वीकृति

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा गुणवत्ता स्वीकृति प्रदान की जाती है।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा गुणवत्ता स्वीकृति प्रदान की जाती है।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा गुणवत्ता स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं. क्र.	संस्था का नाम	राशि	टी.ए. खाता विवरण
2018-19	1. सीटीई विद्यालय	9.25	Name: Principal, MDCST College, Udaipur Bank & Branch: ICICI, Udaipur Society Branch A/C No. : 674101000000 IFSC : ICICI0000943
2018-19	2. सीटीई जवाहर	9.50	Name: Lakshmi, Lakshmi College, Udaipur Bank & Branch: SBI, Udaipur A/C No. : 51038289767 IFSC : SBIN0033479
2018-19	3. सीटीई जवाहर	9.45	Name: राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर Bank & Branch: SBI, Main Branch, Sardar Sar A/C No. : 51033722745 IFSC : SBIN0031140
2018-19	4. सीटीई समरिया	10.90	Name: Principal, CV College of Education, Samaria, Hansangarh Bank & Branch: Punjab National Bank, Samaria A/C No. : 0480002101012867 IFSC : PUN30043000
2018-19	5. सीटीई हट्टूजी	7.75	Name: हरिदास जयप्रकाश महिला शिक्षण महाविद्यालय, हट्टूजी, जयपुर Bank & Branch: SBI, Main Branch, Ajmer A/C No. : 10200547220 IFSC : SBIN0030043
2018-19	6. सीटीई भुसावर	3.25	Name: Shri Arya Vidyapeeth, TI College (CIE) Bhusawar Bank & Branch: UCO Bank, Bhusawar (Bharatpur) A/C No. : 0325100012033 IFSC : UCBA000325



REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

Handwritten signature and date: 14/08/2018

क्र.सं.	संस्था का नाम	दिनांक	पता
1	सीटीई काठमाडौं	14.03	काठमाडौं, सिटी रोड, नयाँ बजार, काठमाडौं
2	सीटीई जयपुर	15.03	जयपुर, सीटीई, जयपुर

अक्षर - सहीर लाख रुपये मात्र।
 राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2018-19 में शिक्षक शिक्षा हेतु सर्वोत्तम मूल्य जो स्वीकार्य मान्यताओं परीक्षण है।
 Teacher Education
 162 Teachers Education salary in India
 102,6 C.T.E.

यह स्वीकृति राशिया स्तर से अनुमोदित है।

- प्रतिनिधि - आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
1. निजी मंत्रालय राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
 2. निजी मंत्रालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
 3. निजी मंत्रालय, अहो राज्य परिवारिता निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
 4. निदेशक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
 5. निदेशक SCERT, जयपुर।
 6. समाप्त आचार्य सीटीई-विद्यालय, जयपुर, सरकार, जयपुर, जयपुर।
 7. कार्यालय प्रति।

राज्य परियोजना निदेशक
 राजस्थान शिक्षा, जयपुर

अति. राज्य परियोजना निदेशक

